

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

1366
2013-14

आदेश पत्रक नं. 1366

तारीख 4.10.13 से 17.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल- बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार दायीया खारिया एवं वर्ष 13-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
04.10.13	<p>श्री/श्रीमति <u>अमल शर्मा</u> पिता/पति <u>श. रामकीश शर्मा</u> ग्राम <u>अचुआर</u> थाना <u>बाढ़</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिकी/दानपत्र/कस्त्रीशानामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को इल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे। अभिलेख दिनांक <u>08.10.13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p><u>जमीन का विवरण</u> ग्राम/थाना नं० <u>अचुआर</u> खाता नं० <u>56</u> <u>54</u> <u>602</u> खेसरा रकबा <u>06.25 बी.</u></p>	<p>21/10/13</p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। इल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>
08.10.13		

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/बनपत्र/बख्शीसनामा
बेटवास/विनिमय/उत्तसाधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः

नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु क्रेता, विक्रेता एवं आम
महाल के नाम-से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15.10.13

को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

15.10.13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 17.10.13

को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

17.10.13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की
..... दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

अंचल अधिकारी
बाढ़